

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेयी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : 31 मई, 2018


विषय: शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना के कार्यों को पूर्ण करने हेतु "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-37 में प्राविधानित धनराशि से जनपद-रायबरेली की 42 परियोजनाओं हेतु द्वितीय/अंतिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1988/76/एक/एबीएमबीवीवाई/2016-17, दिनांक 25 अगस्त, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत जनपद-रायबरेली की नगर पालिका परिषद, रायबरेली की विभिन्न अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित 42 परियोजनाओं के कार्यों को पूर्ण करने हेतु शासनादेश संख्या-249/2018/1310/69-1-2018-57(अ0सं0-37)/2016, दिनांक 31 मार्च, 2018 द्वारा द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में ₹0 200.325 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी किन्तु वित्तीय वर्ष 2017-18 में उक्त धनराशि का आहरण कोषागार से नहीं हो सका था। अतएव उक्त शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2018 को निरस्त करते हुए जनपद-रायबरेली की नगर पालिका परिषद, रायबरेली की उक्त 42 परियोजनाओं हेतु "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना" के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत प्राविधानित बजट की धनराशि से संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि ₹0 200.325 लाख (रूपये दो करोड़ बत्तीस हजार पांच सौ मात्र) की, निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-
1. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-32/69-1-13-14(31)2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

क्रमशः.....2



72
21/01/18

3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. योजनान्तर्गत कराये जाने वाले समस्त कार्यों का विवरण, उनकी लागत, कार्य पूर्ण होने की अवधि, कार्यदायी संस्था व उससे संबंधित अभियन्ता एवं परियोजना अधिकारी का नाम व फोन नम्बर कार्य स्थल पर नोटिस बोर्ड लगाकर सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त सभी विवरण एवं योजना का आगणन डूडा की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जायेगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपोजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
8. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित डूडा का होगा।
9. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तापुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
10. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गई है।
11. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
12. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
13. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव, विशेष सचिव अथवा संयुक्त सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र0 शासन के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।

14. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
15. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
16. सेन्टेज चार्ज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।
17. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2019 तक व्यय हो सके।
2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-37 में योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-04-गन्दी बस्तियों का विकास-051-निर्माण-04-मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 तथा समय-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोक्त।

भुवदीय

(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।

संख्या-372/2018/970(1)/69-1-2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, 30प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र0 शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, रायबरेली।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-8, 30प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, 30प्र0 शासन।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ।
9. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आशा से,

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।

क्र0 सं0	जनपद का नाम	निकाय/ नगर पंचायत का नाम।	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत।	द्वितीय/अंतिम किशत के रूप में स्वीकृत योग्य धनराशि।
1	2	3	4	5	6
1	रायबरेली	न0पापरि0, रायबरेली	वार्ड नं0-01 अनवर नगर में समीम के मकान से फिरोज के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क, नाली व क्रास का निर्माण कार्य।	9.09	4.545
2	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-01 अनवर नगर में सिराज अहमद के मकान से दारुल उलूम तक इण्टरलाकिंग सड़क, नाली व क्रास का निर्माण कार्य।	9.84	4.92
3	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-01 अनवर नगर में अब्दुल गनी के मकान से मेन रोड तक इण्टरलाकिंग सड़क, नाली व क्रास का निर्माण कार्य।	31.76	15.88
4	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-01 अनवर नगर में मिर्जा अयूब के मकान से समीम राने के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क, नाली व क्रास का निर्माण कार्य।	8.44	4.22
5	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-01 अनवर नगर में अब्दुल लतीफ के मकान से सादिक के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क, नाली व क्रास का निर्माण कार्य।	15.05	7.525
6	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-01 अनवर नगर में इस्लाम के मकान से पक्की सड़क तक इण्टरलाकिंग सड़क, नाली व क्रास का निर्माण कार्य।	13.80	6.90
7	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-01 अनवर नगर में मुन्ता के मकान से मो0 सईद खां के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क, नाली व क्रास का निर्माण कार्य।	18.76	9.38
8	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-01 (अनवर नगर) सैयद नगर में ई0 सगीर के मकान से मेन रोड तक इण्टरलाकिंग सड़क, नाली व क्रास का निर्माण कार्य।	26.67	13.335
9	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-01 (अनवर नगर) सैयद नगर में मो0 नसरुद्दीन के मकान से अमित ट्रेडर्स तक इण्टरलाकिंग सड़क, नाली व क्रास का निर्माण कार्य।	13.97	6.985
10	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-01 (अनवर नगर) सैयद नगर में राम बालक मौर्या के मकान से ललित कुमार मौर्या के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क, नाली व क्रास का निर्माण कार्य।	1.94	0.97
11	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-01 (अनवर नगर) सैयद नगर में राम नरेश यादव के मकान से राम बरन यादव के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क, नाली व क्रास का निर्माण कार्य।	4.22	2.11
12	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 01(अनवर नगर) सैयद नगर में वसिम के मकान से इस्तियाक अहमद के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क, नाली व क्रास का निर्माण कार्य।	11.65	5.825
13	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-02 (रेलवे कालोनी) आजाद नगर में जुबैर के मकान से आफताब आलम के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क, नाली व क्रास का निर्माण कार्य।	4.59	2.295
14	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-02(रेलवे कालोनी) आजाद नगर में सैयद	5.65	2.825

			चक्की से इरशाद के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क, नाली व क्रास का निर्माण कार्य।		
15	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-02(रेलवे कालोनी) आजाद नगर में ताहिर अंसारी के मकान से मो0 गनी उस्मान के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क, नाली व क्रास का निर्माण कार्य।	11.45	5.725
16	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-02 (रेलवे कालोनी) आजाद नगर में शहजादे के मकान से सैयद की चक्की तक इण्टरलाकिंग सड़क, नाली व क्रास का निर्माण कार्य।	8.01	4.005
17	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-02(रेलवे कालोनी) आजाद नगर में पीर मोहम्मद के मकान से फरीद खान के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क, नाली व क्रास का निर्माण कार्य।	5.66	2.83
18	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-02(रेलवे कालोनी) आजाद नगर में अजय के मकान से मो0 सिद्दीकी के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क, नाली व क्रास का निर्माण कार्य।	3.26	1.63
19	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-02(रेलवे कालोनी) आजाद नगर में इकबाल सिद्दीकी के मकान से अजय कुमार के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क, नाली व क्रास का निर्माण कार्य।	2.75	1.375
20	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-02(रेलवे कालोनी) आजाद नगर में सरीफ के मकान से हुसैन के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क, नाली व क्रास का निर्माण कार्य।	5.35	2.675
21	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-02(रेलवे कालोनी) आजाद नगर में कमाल अंसारी के मकान से साबिर अहमद के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क, नाली व क्रास का निर्माण कार्य।	2.33	1.165
22	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-02(रेलवे कालोनी) आजाद नगर में मो0 इस्माइल के मकान से वसीर के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क, नाली व क्रास का निर्माण कार्य।	2.33	1.165
23	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-02(रेलवे कालोनी) आजाद नगर में वसीर के मकान से ताहिर के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क, नाली व क्रास का निर्माण कार्य।	3.81	1.905
24	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 02(रेलवे कालोनी) सैयदगंज में यासिन के मकान से आमिर के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क, नाली व क्रास का निर्माण कार्य।	20.87	10.435
25	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-02(रेलवे कालोनी) प्रताप नगर मो0 शफीक के मकान से सलीम के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क, नाली व क्रास का निर्माण कार्य।	16.73	8.365
26	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-17 खाली सहाट में मोहम्मद इलियास के मकान से मोहम्मद शोहराब के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क, नाली व क्रास का निर्माण कार्य।	2.59	1.295
27	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 17 खाली सहाट में गज्जन के मकान से लायक के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क, नाली व क्रास का निर्माण कार्य।	11.16	5.58
28	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-17 खाली सहाट में मोहम्मद हनीफ के मकान से सुरजपुर बन्धा तक इण्टरलाकिंग सड़क, नाली व क्रास का निर्माण कार्य।	31.06	15.53
29	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-17 खाली सहाट में समीम के मकान से मज्जन के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क, नाली व क्रास का निर्माण कार्य।	13.68	6.84

30	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-17 खाली सहाट में राम लखन सोनी के मकान से आजाद कुरैशी के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क, नाली व क्रास का निर्माण कार्य।	1.67	0.835
31	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-17 खाली सहाट में अतीक के मकान से राम पाल के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क, नाली व क्रास का निर्माण कार्य।	7.69	3.845
32	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-17 खाली सहाट में सुरेश सोनकर के मकान से सगीर के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क, नाली व क्रास का निर्माण कार्य।	6.83	3.415
33	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-17 खाली सहाट में सरीफ के मकान से जल्लू के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क, नाली व क्रास का निर्माण कार्य।	1.87	0.935
34	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-17 खाली सहाट में उमर के मकान से अंसार के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क, नाली व क्रास का निर्माण कार्य।	6.86	3.43
35	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-17 खाली सहाट में जुबैर के मकान से लल्लू के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क, नाली व क्रास का निर्माण कार्य।	2.40	1.20
36	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-17 खाली सहाट में चुल्ना के मकान से जमील के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क, नाली व क्रास का निर्माण कार्य।	3.35	1.675
37	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-17 खाली सहाट में सुहैल के मकान से मुनब्वर के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क, नाली व क्रास का निर्माण कार्य।	4.39	2.195
38	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-17 खाली सहाट में भालेन्द्र मिश्रा के मकान से ताहिर के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क, नाली व क्रास का निर्माण कार्य।	1.01	0.505
39	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-12 मो0 सैयद राजन में जगत पाल रैदास के मकान से रिम्झ के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क, नाली व क्रास का निर्माण कार्य।	20.44	10.22
40	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-12 मो0 सैयद राजन में वसीम के मकान से अकील के मकान होते हुये फहजान के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क, नाली व क्रास का निर्माण कार्य।	9.30	4.65
41	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-12 मो0 सैयद राजन में कानवेन्ट स्कूल से अख्तर के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क, नाली व क्रास का निर्माण कार्य।	9.70	4.85
42	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 12 मो0 सैयद राजन में जगीर के मकान से पीर बक्श के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क, नाली व क्रास का निर्माण कार्य।	8.67	4.335
योग				400.65	200.325

(रूपये दो करोड़ बत्तीस हजार पांच सौ मात्र)।


 (अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
 अनु सचिव।